संख्या–वे0आ0–2– 1974 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) सॉख्यिकीय सहायक के पदों को तत्काल प्रभाव से कनिष्ठ सहायक पदनामित करते हुए लिपिकीय संवर्ग के कनिष्ठ सहायक पदों में संविलीन कर दिया जाय।

(3) सॉख्यिकीय अधिकारी के एकल पद को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अन्वेषक के पदों में संविलीन किया जाय। इसके फलस्वरूप सॉख्यिकीय अधिकारी के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य हो जायेगा।

(4) सहायक निदेशक के पोषक पदों में सम्मिलित सॉख्यिकीय अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक एवं वैयक्तिक सहायक के पदों को पोषक से हटा दिया जाय। इसी प्रकार वरिष्ठ निरीक्षक (जॉच) के पोषक पदों में सम्मिलित ज्येष्ठ आशुलिपिक के पद को इसके पोषक पद से हटा दिया जाय।

(5) वरिष्ठ निरीक्षक (जॉच) के पद के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(6) समीक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(7) पर्यवेक्षक–कम–आंकिक के पदों को वर्तमान स्वरूप बनाये रखते हुए उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 2000/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(8) अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिये वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर इनके शत–प्रतिशत पदों को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पूर्व निर्धारित अर्हता (वस्त्र प्रौद्योगिकी/बुनाई प्रौद्योगिकी/हथकरघा प्रौद्योगिकी में 03 वर्षीय डिप्लोमा) वाले अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्राविधान करते हुए इन पदों पर रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(9) डिजाइन शाखा के मास्टर वीवर एवं मास्टर डायर के शत–प्रतिशत पदों को पूर्व निर्धारित अर्हता (वस्त्र प्रौद्योगिकी/बुनाई प्रौद्योगिकी/हथकरघा प्रौद्योगिकी में 03 वर्षीय डिप्लोमा) वाले अभ्यर्थियों से आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया जाय। मास्टर वीवर के पदों पर भी मास्टर डायर के सादृश्य रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(10) वरिष्ठ कलाकार के पदों को शत–प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा वस्त्र डिजाइन में डिप्लोमा की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्राविधान किया जाय।

(11) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2–1974 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।